ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–39/22–23

मानवेल मुर्मू बनाम् सोहराय टुडू वगै0

–: आदेश :–

21.07.2023

वर्त्तमान वाद सरकार के अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8510615/मु0मं0स0, दिनांक–08.12.2021 एवं उपायुक्त, गोड्डा के पंजी कमांक–10559, दिनांक–22.12.2021 द्वारा आवेदक मानवेल मुर्मू, पे0–स्व0 तालू मुर्मू, सा0, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा का प्राप्त आवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय, महागामा के निर्गत पत्र सं0–139/सा0, दिनांक–10.02.2022 के अनुपालन में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक– 427/रा0, दिनांक–24.06.2022 एवं पत्रांक–825/रा0, दिनांक–09.12.2022 से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा अधिवक्त के माध्यम से मौजा–मेहरमा नं0–18, जमाबंदी नं0–31, कुल रकवा–27–19–05 धूर भूमि से विपक्षीगण सोहराय टुडू, पे0–हेम्ब्रम टुडू, सा0–मेहरमा, महेन्द्र उरांव, पे0–बालदेव उरांव, सा0–सुरनी, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के विरूद्ध उच्छेदी हेतु दायर वाद के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् वाद की प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने पत्रांक–427/रा0, दिनांक–24.06.2022 एवं पत्रांक–825/रा0, दिनांक–09.12.2022 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदक मानवेल मुर्मू जमाबंदी रैयत जीतू मुर्मू का छरपोता है एवं आवेदक के द्वारा हाल तक का लगान रसीद कटाया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि विपक्षी का उक्त जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

21.07.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

21.07.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 12:49:14 +05:30
Location: 192.168.1.33

Scanned with OKEN Scanner